फैक्स

संख्या–883 / सात–न्याय–2–2013–58जी / 2001

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2013

विषयः–पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–66 / 1984) के अधीन प्रदेश के 63 जनपदों में यथा अम्बेडकरनगर, बहराइच, बुलन्दशहर, बदायूँ, बांदा, बिजनौर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, भदोही (संतरविदास नगर), बागपत, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर,झांसी, जे0पी0 नगर (अमरोहा), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात , कौशाम्बी, संतकबीर नगर , कन्नौज, ललितपुर, मथुरा, मैनपुरी,मऊ,महराजगंज, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली,शाहजहॉपुर,सीतापुर,सुलतानपुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र, सहारनपुर, श्रावस्ती, उन्नाव, औरैया, चन्दौली, चित्रकूट, कासगंज, अमेठी, सम्भल, शामली, हापुड़ में पारिवारिक न्यायालयों / पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्र संख्या–1527 / VIIe/A,dmin (A-3) दिनांक 27 नवम्बर, 2008 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या–7751 / VIIe/A,dmin (A-3) दिनांक 19 मई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश के 12 जनपदों में कुल 16 पारिवारिक न्यायालय स्थापित है। शेष 63 जनपदों में अभी तक कोई भी पारिवारिक न्यायालय स्थापित नही है अतः पारिवारिक मामलों में, विशेषकर विवाह सम्बन्धी विवादों में आपसी सुलह द्वारा समझौता कराने के उद्देश्य से तथा इन वादों के शीघ्र विचारण के लिये श्री राज्यपाल महोदय, जनपद अम्बेडकरनगर, बहराइच, बुलन्दशहर, बदायूँ, बांदा, बिजनौर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, भदोही (संतरविदास नगर), बागपत, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस जालौन,झांसी, जौनपुर, जे0पी0 नगर (अमरोहा), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात ,कौशाम्बी, संतकबीर नगर , कन्नौज, ललितपुर, मथुरा, मैनपुरी, मऊ, महराजगंज, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ रामपुर, रायबरेली, शाहजहॉपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र, सहारनपुर, श्रावस्ती, उन्नाव, औरैया, चन्दौली, चित्रकूट

–2–

कासगंज , अमेठी , सम्भल, शामली, हापुड़ में उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के 63 पद जिला जज (इन्ट्री लेबल) वेतनमान रू0 51,550 –1230–58,930–1380–63,070 में एक–एक पारिवारिक न्यायालयों (फैमिली कोर्ट) में पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी, 2014 तक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त पदों पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों से मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी तथा इस निमित सृजित नये पद अपने संवर्ग में बढ़े हुये माने जायेंगे तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट के समाप्त होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सृजित 156 निःसंवर्गीय पदों एवं सर्पोटिंग स्टाफ के निःसंवर्गीय पदों को इन पदों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

3– इन पारिवारिक न्यायालयों के लिये राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों, जिनका उल्लेख अनुलग्नक–1 में किया गया है, उक्त न्यायालयों की स्थापना के बाद अथवा उनके रखे जाने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक यदि वे पूर्व सूचना के इससे पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजन के लिये राज्यपाल महोदय की सहमति प्रदान की जाती है । इन पदों के पदधारकों को मॅहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय–समय पर लागू नियमों तथा राजाज्ञाओं द्वारा वे उनके अधिकारी होंगे । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अर्हतायें वही होंगी जो वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में कार्यरत उनके समकक्ष कर्मचारियों की हैं । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती कार्मिक विभाग के वर्तमान शासनादेशों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की भर्ती शासनादेश संख्या–238/सात–न्याय–2–2013–101जी/10, दिनांक 27 फरवरी, 2013 के प्रस्तर–3 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार की जायेगी ।

4– उक्त न्यायालयों के लिये पदों के सृजन तथा सम्बन्धित मदों पर चालू वित्तीय वर्ष (2013–2014) में व्यय किये जाने की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं । व्यय की मदों का विवरण अनुलग्नक–2 में दिया गया है । उपस्कर एवं टाइप राइटर मशीन आदि का क्रय स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014–न्याय प्रशासन– आयोजनेत्तर– 105–सिविल एवं सेशन न्यायालय–09–पारिवारिक न्यायालय" के अधीन विभिन्न मानक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–1003/दस–2013, दिनांक 23 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव ।

संख्या–883(1)/सात–न्याय–2–2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव भारत सरकार, विधि, न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–12012/2/2011–JUS(M), दिनांक 25 जनवरी, 2011 के संदर्भ में। कृपया प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2– अपर स्थानिक आयुक्त , उ0प्र0 शासन, 401 अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के0जी0 मार्ग, ई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 12–08–2011 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें

3– संयुक्त निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–7751/VIIe/A,dmin (A-3) दिनांक 19 मई, 2012 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

4– जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बुलन्दशहर, बदायूँ, बांदा, बिजनौर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, भदोही (संतरविदास नगर), बागपत, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस जालौन, झासी, जौनपुर, जे0पी0 नगर (अमरोहा), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात कौशाम्बी, संतकबीर नगर , कन्नौज, ललितपुर, मथुरा, मैनपुरी, मऊ, महराजगंज, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ रामपुर, रायबरेली, शाहजहॉपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र, सहारनपुर, श्रावस्ती, उन्नाव, औरैया, चन्दौली, चित्रकूट, कासगंज अमेठी , सम्भल शामली , हापुड़ ।

5– जिला जज, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बुलन्दशहर, बदायूँ, बांदा, बिजनौर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, भदोही (संतरविदास नगर), बागपत,देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झासी, जौनपुर, जे0पी0 नगर (अमरोहा), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात कौशाम्बी, संतकबीर नगर , कन्नौज, ललितपुर, मथुरा, मैनपुरी, मऊ, महराजगंज, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, शाहजहॉपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र, सहारनपुर, श्रावस्ती, उन्नाव, औरैया, चन्दौली, चित्रकूट, कासगंज अमेठी , सम्भल शामली , हापुड़ ।

–4–

6– कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बुलन्दशहर, बदायूँ, बांदा, बिजनौर, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, भदोही (संतरविदास नगर), बागपत, देवरिया, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोण्डा, गौतमबुद्वनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झासी, जौनपुर, जे0पी0 नगर (अमरोहा), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, संतकबीर नगर , कन्नौज, ललितपुर, मथुरा, मैनपुरी, मऊ, महराजगंज, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, महोबा,पीलीभीत, प्रतापगढ, रामपुर, रायबरेली, शाहजहॉपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र, सहारनपुर, श्रावस्ती, उन्नाव, औरैया, चन्दौली, चित्रकूट, कासगंज , अमेठी , सम्भल शामली , हापुड़ ।

7– महालेखाकार (प्रथम / द्वितीय) लेखा, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

8– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।

9– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

10– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन ।

11– मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–3(घोषणा प्रकोष्ठ) को उनके पत्र संख्या–357 / घोषणा / ए0वाई0–36 / 2012, दिनांक 08–11–2012 में घोषणा संख्या – ए0वाई0–36 / 2012 (क0सं0 जी एच 110000331) के संदर्भ में ।

12– वित्त (ई–12) अनुभाग ।

13– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1 / 2

14– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2

15– नियुक्ति अनुभाग–4

16– न्याय अनुभाग–9 (बजट) कृपया प्रश्नगत मामले में आवश्यकतानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

17– पुस्तकालयाध्यक्ष, न्याय एवं विधि परामर्शी पुस्तकालय,उ0प्र0 शासन।

18– अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि इसे न्याय विभाग की वेवसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें ।

19– गार्ड बुक / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

(सै0मो0 हसीब)
विशेष सचिव ।

अनुलग्नक–1

शासनादेश संख्या–883 / सात–न्याय–2–2013–58जी / 2001, दिनांक 23 मई, 2013

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1–	जज	63	रू051550–1230–58930–1380–63070	–
2–	काउन्सिलर (परामर्शदाता)	63	रू06000 / –नियत् प्रतिमाह	–
3–	सदर मुंसरिम	63	रू0 5500–9000 (पुराना वेतनमान)	–
4–	स्टेनो	63	रू0 5200–20200	रू02400
5–	रीडर	63	रू0 5200–20200	रू02400
6–	सूट्स क्लर्क / भरण पोषण क्लर्क	63	रू0 5200–20200	रू02400
7–	कापिस्ट / टाइपिस्ट	63	रू0 5200–20200	रू01900
8–	अर्दली	63	रू0 5200–20200	रू01800
9	कार्यालय प्यून	63	रू0 5200–20200	रू01800
कुल योग		567 (पॉच सौ सड़सठ) पद		

(सै0मो0 हसीब)
विशेष सचिव ।

अनुलग्नक–2

शासनादेश संख्या–883 / सात–न्याय–2–2013–58जी / 2001, दिनांक 23 मई, 2013

व्यय के मदों का विवरण

मद

01–वेतन
03–मँहगाई भत्ता
04–यात्रा भत्ता
05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता
06–अन्य भत्ते
07–मानदेय
08–कार्यालय व्यय
09–विद्युत व्यय
10–जलकर / जलप्रभार
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण
13–टेलीफोन पर व्यय
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व
42– अन्य व्यय
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय
45–अवकाश यात्रा पर व्यय
49–चिकित्सा व्यय

(सै0मो0 हसीब)
विशेष सचिव ।